निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 962) पटना, वृहस्पतिवार, 25 नवम्बर 2021

ifjogu foHkkx

---

vf/k lpuk
25 नवम्बर 2021

सं० 02/08–01/2021–7443/परि0—बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016–सहपठित–बिहार मोटर वाहन करारोपण (यथा संशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा–6 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होते हैं, जिसके फलस्वरुप उनके निजी वाहन के स्थानांतरण में होने वाले कठिनाईयों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–594, दिनांक–26.08.2021 द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम, 47, 48, 50, 51 एवं 54 में संशोधन करते हुए लागू किये गये BH-Series को राज्य में लागू करने हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7(1)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना सं0–5786, दिनांक–07.12.2018 की अनुसूची–1 भाग (क) की विवरणी के पश्चात् एक नोट निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है :–

^^ukV& BH-Series रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् के आवंटन के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–सा0का0नि0 594 (अ), दिनांक–26.08.2021 के प्रावधान बिहार राज्य में यथास्थिति लागू होंगे।''

2- यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

Transport Department

Notification

25th November 2021

No.-02@08&01@2021&7443@ifj0-—Considering the difficulties faced by the officers/employees of the Government sector and Private sector, who are transferred from one state to another state and face diffculties in transfer of their private vehicle, the BH-Series has been introduced by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India through notification no.- GSR-594(E), dated-26.08.2021 by amending the rule-47, 48, 50, 51 & 54 of Central Motor Vehicle Rule, 1989, for the enforcement of the same in the State of Bihar, exercising the power conferred by section-6 (d) of Bihar Motor Vehicle Taxation (as amended) Act, 1994 read with Bihar Motor Vehicle Taxation (amendment) Act, 2016, after the detail of schedule-1 part (A) of notification no.-5786, dated-07.12.2018 issued under section-9 of the Bihar Finance Act, 2013 read with section 7 (1) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, one note is being added in the following way :-

"Note- In the cases of registration in BH-Series, the provisions made by notification no.GSR-594(E), dated-26.08.2021 of Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, shall be enforced in the State of Bihar as it is."

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 962-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in